न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 155/2018

अनवान :

1. इन्द्रसिंह पुत्र नोरंगलाल जाति जाट निवासी सागड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

- वादी

बनाम

1. विद्यादेवी पत्नी नोरंगलाल जाति जाट निवासी सागड़ा तहसील भादरा।
2. कुमारी पुष्पा पुत्री नोरंगलाल जाति जाट निवासी सागड़ा तहसील भादरा।
3. सुमित्रादेवी पुत्री नोरंगलाल जाति जाट निवासी सागड़ा तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरारहक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधिनियम1955

उपस्थिति : वकील श्री विक्रम शर्मा : **वादी**

वकील श्री अमित देहडू : **प्रतिवादी सं0 1 ता 3**

निर्णय **दिनांक :** 25-6-18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा चक 7 जेएसएल के वर्तमान खाता सं0 125/122 के मु0नं0 44 के किला नं0 2 ता 5, 7 ता 9, 12 ता 14 की 2.5300 है0 बारानी खातेदारी व चक 10 जेएसएल के खाता सं0 217/224 के मु0नं0 62 के किला नं0 20 ता 22, मु0नं0 63 के किला नं0 16, 17, 24 व 25 मु0नं0 84 के किला नं0 4 7, 14 ता 17, 24 व 25 मु0नं0 85 के किला नं0 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 24 मु0नं0 91 के किला नं0 1, 10, 11 मु0नं0 92 के किला नं0 1 ता 15, 18 व 19, 22 व 23 मु0नं0 93 के किला नं0 4 ता 7, 13 ता 15 कुल 15.686 है0 बारानी खातेदारी व चक 7 डीपीएन के खाता सं0 91/94 के मु0नं0 25 किला नं0 16 व 25 मु0नं0 26 के किला नं0 7 ता 14, 19 ता 22 मु0नं0 28 के किला नं0 1, 2, 9, 10 मु0नं0 29 के किला नं0 5 व 6 कुल 5.060 है0 नहरी खातेदारी में वादी के पिता नोरंगलाल वल्द मामचन्द के नाम से 1/5 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। वादी के पिता नोरंगलाल वल्द मामचन्द का दिनांक 08.06.1999 को देहान्त हो गया था जिस पर उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर के अनुसार विरासतन में प्राप्त हो गई थी। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में तर्क कर शुन्य कर लिया था जिस पर उक्त भूमि वादी के कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग में चली आ रही है परन्तु राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि आज भी वादी के पिता नोरंगलाल के नाम से ही दर्ज चली आ रही है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 व 3 ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 4 को तर्क किया गया।

साक्ष्य वादी में पीडडब्ल्यु 1 इन्द्रसिंह के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी चक 7 जेएसएल के खाता सं0 125/122 सम्वत् 2074 से 77 की प्रदर्श 1, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी चक 10 जेएसएल के खाता सं0 217/224 सम्वत् 2073 से 76 की प्रदर्श 2, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी चक 7 डीपीएन के खाता सं0 91/94 सम्वत् 2072 से 75 की प्रदर्श 3, फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 4ए, चित्रप्रति वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 5ए प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी के पिता को विरासतन प्राप्त हुई थी वादी के पिता की मृत्यु हो चुकी है। प्रतिवादीया सं0 1 ता 3 ने वाद भूमि से अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग दिया है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने चक 7 व 10 जेएसएल व 7 डीपीएन के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने अपने वाद की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी चक 7 जेएसएल के खाता सं0 125/122 सम्वत् 2074 से 77 की प्रदर्श 1, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी चक 10 जेएसएल के खाता सं0 217/224 सम्वत् 2073 से 76 की प्रदर्श 2, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी चक 7 डीपीएन के खाता सं0 91/94 सम्वत् 2072 से 75 की प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये है उनमें वाद कृषि भूमि वादी के पिता नोरंगलाल के नाम से दर्ज है एवं फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 4ए, चित्रप्रति वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 5ए से नोरंगलाल के फौत हो जाने व उनके विधिक वारिसान की पुष्टि है। इस प्रकार वाद वादी साबित है।

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 7 जेएसएल के वर्तमान खाता सं0 125/122 के मु0नं0 44 के किला नं0 2 ता 5, 7 ता 9, 12 ता 14 की 2.5300 है0 बारानी खातेदारी व चक 10 जेएसएल के खाता सं0 217/224 के मु0नं0 62 के किला नं0 20 ता 22, मु0नं0 63 के किला नं0 16, 17, 24 व 25 मु0नं0 84 के किला नं0 4 ता 7, 14 ता 17, 24 व 25 मु0नं0 85 के किला नं0 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 24 मु0नं0 91 के किला नं0 1, 10, 11 मु0नं0 92 के किला नं0 1 ता 15, 18 व 19, 22 व 23 मु0नं0 93 के किला नं0 4 ता 7, 13 ता 15 कुल 15.686 है0 बारानी खातेदारी मय गै0मु0रास्ता व चक 7 डीपीएन के खाता सं0 91/94 के मु0नं0 25 किला नं0 16 व 25 मु0नं0 26 के किला नं0 7 ता 14, 19 ता 22, मु0नं0 28 के किला नं0 1, 2, 9, 10 मु0नं0 29 के किला नं0 5 व 6 कुल 5.060 है0 नहरी खातेदारी में वादी के पिता नोरंगलाल वल्द मामचन्द के नाम से 1/5 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में से नोरंगलाल का नाम कलमजन किया जाकर वादी इन्द्रसिंह खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 1 ता 3 तीनों ने वाद कृषि भूमि से अपना हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वाद कृषि भूमि वादी के नाम दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25-6-18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 155/2018

अनवान :

1. इन्द्रसिंह पुत्र नोरंगलाल जाति जाट निवासी सागड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

- वादी

बनाम

1. विद्यादेवी पत्नी नोरंगलाल जाति जाट निवासी सागड़ा तहसील भादरा।
2. कुमारी पुष्पा पुत्री नोरंगलाल जाति जाट निवासी सागड़ा तहसील भादरा।
3. सुमित्रादेवी पुत्री नोरंगलाल जाति जाट निवासी सागड़ा तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री विक्रम शर्मा एवं वकील प्रतिवादी सं0 1 ता 3 श्री अमित देहडू की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 7 जेएसएल के वर्तमान खाता सं0 125/122 के मु0नं0 44 के किला नं0 2 ता 5, 7 ता 9, 12 ता 14 की 2.5300 है0 बारानी खातेदारी व चक 10 जेएसएल के खाता सं0 217/224 के मु0नं0 62 के किला नं0 20 ता 22, मु0नं0 63 के किला नं0 16, 17, 24 व 25 मु0नं0 84 के किला नं0 4 ता 7, 14 ता 17, 24 व 25 मु0नं0 85 के किला नं0 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 24 मु0नं0 91 के किला नं0 1, 10, 11 मु0नं0 92 के किला नं0 1 ता 15, 18 व 19, 22 व 23 मु0नं0 93 के किला नं0 4 ता 7, 13 ता 15 कुल 15.686 है0 बारानी खातेदारी मय गै0मु0रास्ता व चक 7 डीपीएन के खाता सं0 91/94 के मु0नं0 25 किला नं0 16 व 25 मु0नं0 26 के किला नं0 7 ता 14, 19 ता 22 मु0नं0 28 के किला नं0 1, 2, 9, 10 मु0नं0 29 के किला नं0 5 व 6 कुल 5.060 है0 नहरी खातेदारी में वादी के पिता नोरंगलाल वल्द मामचन्द के नाम से 1/5 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में से नोरंगलाल का नाम कलमजन किया जाकर वादी इन्द्रसिह खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 1 ता 3 तीनों ने वाद कृषि भूमि से अपना हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वाद कृषि भूमि वादी के नाम दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25-6-18..... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़